प्रेस विज्ञप्ति

23.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, पटना जोनल कार्यालय ने अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनके निदेशकों अर्थात् मेसर्स अग्रनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड ,मेसर्स अग्रनी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ,मेसर्स अग्रनी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ,मेसर्स अग्रनी होम्स रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ,मेसर्स अग्रनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड , मेसर्स अग्रनी ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ,आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार सिंह) सीएमडी(, राणा रणवीर सिंह ,श्रीमती विजया राज लक्ष्मी और श्रीमती अलका सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, पटना के समक्ष 19.09. 2024को धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत) पीसी (दायर की है और माननीय न्यायालय ने19 .09. 2024को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनके निदेशकों के विरुद्ध भा.दं.सं., 1860और परक्राम्य लिखत अधिनियम ,1881 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 08 प्रथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आलोक कुमार और उनके सहयोगियों ने आकर्षक दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराने के बहाने विभिन्न फ्लैट खरीदारों से लगभग1 . 42करोड़ रुपये जमा किए थे ,लेकिन बाद में न तो घर खरीदारों को फ्लैटों का कब्ज़ा दिया गया और न ही उनके निवेश वापस किए गए। निदेशकों ने घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर बैंक खातों के जाल के माध्यम से विपथित किया। इस धन को गैर-रियल एस्टेट गतिविधियों ,परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और खर्चों) व्यक्तिगत प्रकृति (को पूरा करने और बड़ी मात्रा में नकद निकासी के माध्यम से विपथित किया गया है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने18 .04. 2023और19 .04. 2023को पटना और दिल्ली में कंपनियों और निदेशकों से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी)रेरा(, बिहार ने कंपनियों और निदेशकों के नाम पर सभी चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है , हालांकि ,तलाशी अभियान के दौरान आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों से जुड़े 133 बैंक खाते और स्कोडा रैपिड और टोयोटा फॉर्च्यूनर नामक दो लग्जरी गाड़ियां ईडी द्वारा फ्रीज/जब्त कर ली गईं।